

### कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 शिड्यूल-1 के अन्तर्गत दिनांक 25.07.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंषा के अनुसार उक्त सेवा नियमों के अन्तर्गत विभाग के निम्न कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2024-25 के रिक्त पद के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	पदोन्नत कर्मचारी	विवरण	पदोन्नति प्रभावी दिनांक
1.	श्री रामगोपाल सैनी	सामान्य	दिनांक 01.04.2024
2.	श्री जितेन्द्र कुमार भदाला	सामान्य	दिनांक 01.04.2024
3.	श्री रजत अवस्थी	सामान्य	दिनांक 01.04.2024

उक्त पदोन्नत कर्मचारी अग्रिम आदेशों तक यथास्थान पर ही कार्यग्रहण कर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डी0 एल0डामोर)  
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :F.1(2)Estt.104/F&B/23-00515

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बायलर्स एवं ई0एस0आई0 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर।
4. कार्यालय निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, सीकर/भरतपुर।
5. संबंधित कार्मिक श्री-----
6. लेखा-शाखा (संबंधित कार्यालय)।
7. IT सेल को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. निजी पत्रावली।

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स  
राजस्थान, जयपुर।

